

## विचार बिन्दु

यदि कोई दुर्बल मानव तुम्हारा अपमान करे तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करना ही वीरों का काम है। परंतु यदि अपमान करने वाला बलवान हो तो उसको अवश्य दण्ड दो। -गुरु गोविन्दसिंह

## देश हित में होगा, यदि न्यायपालिका, विधायिका व कार्यपालिका सभी अपनी-अपनी हद में रहें

यह प्रश्न बार-बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आता रह है कि संसद और सर्वोच्च न्यायालय में कौन बड़ा है, कौन अधिक शक्तिशाली है? क्या संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के अस्तित्व को समाप्त कर सकती है? अथवा क्या सर्वोच्च न्यायालय अपनी असंमित शक्ति के सहारे संसद को किसी विशिष्ट प्रकार के विषय पर कानून पारित करने से रोक सकती है? क्या संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को प्रभावित कर सकती है? ऐसे कई प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाये जाते रहे हैं। कोर्ट में इनकी सुनवाई है और सफलतापूर्वक इन पर निर्णय भी दिये गये हैं, किन्तु प्रश्न तो अनेक हैं, अन्तर्द्विधा नहीं देता। वही लोग वोट की राजनीति, जातिवाद, असमानता, आरक्षण आदि के अधिशासकों में डूबते जा रहे हैं।

यह निर्विवाद है कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र इकाई है और मानते भी हैं कि उन्हें एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह स्वतंत्रता उन्हें उस समय प्राप्त होती है, जब वे संविधान के दायरे में रहकर कार्य करते हैं। संसद को नियमों के अनुसार कानून बनाने का अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 145 में नियम बनाने के अधिकार दिये हैं। किन्तु वह कानून यदि भेदभाव का निर्माण करता है, निरंकुश है, अथवा संवैधानिक अधिकारों पर कुप्रभाव डालता है, अथवा संविधान की तीनों लिस्टों में दिये गये विषयों पर नहीं है तो वह कानून अवैध होगा। कार्यपालिका का काम है, कानूनों की पालना करना और राज्य की व्यवस्था को बनाये रखना। न्यायपालिका का अधिकार है कि वह कानून की सही व्याख्या करे और यदि संसद का कानून संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसे असंवैधानिक घोषित करे। फिर प्रश्न उठता है यदि सर्वोच्च न्यायालय संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित करता है तो क्या संसद कानून बनाकर उस निर्णय को निरस्त कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने एस.टी. सदीक बनाम स्टेट ऑफ़ केरल व अन्य के दिनांक 04.02.2015 के निर्णय में यह स्पष्ट कहा है, कि लोकसलेटिव अधिकार से, निर्णय को निरस्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो यह मानना होगा कि संसद, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपीलेंट कोर्ट है, जो सम्भव नहीं है। यहाँ यह लिखना समीचीन होगा कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि राज्य के तीनों अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका व विधायिका संविधान के अनुसार अपने अपने कार्यों में स्वतंत्रता दी गई है। यदि इनका संतुलन बिगड़ा तो संविधान की गरिमा पर विपरीत असर होगा। न्यायाधीशों का कार्य कठिन है। न्यायाधीश विनम्र होने चाहिये, शांतिना उनका धर्म। वे बादशाहों की तरह आचरण नहीं कर सकते। न्यायाधीश कानून नहीं बना सकते। न्यायालय का यह कार्य नहीं है कि बच्चों का दाखिला नर्सरी क्लास में किस प्रकार किया जावे। उनका कार्य है यदि इस बाबत कोई कानून है तो वे उसकी सही व्याख्या करें।

यशस्वी न्यायमूर्ति भगवती, जिन्हें लोकहित याचिका का जन्म दाता माना जाता है यह स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 141/142 में दिये गये अधिकार तथा जुडिशियल रिव्यू के अधिकार अपरिमित हैं। समय की पुकार है कि न्याय की प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखा जावे। राज्य के तीनों अंगों में संतुलन बनोय रखना भारत के लोकतंत्र की प्रगति व विकास के हेतु आवश्यक है।

भारतीय संविधान में न्यायपालिका व विधायिका के अधिकारों का विशुद्ध विवेचन है। अनुच्छेद 212 में यह अधिव्यक्त किया गया है कि राज्य की विधायिका की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित, अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जावेगा। अर्थात् कार्यवाही में प्रक्रिया का दोष है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती; किन्तु यदि कार्य ही अधिकार शून्य है तो चुनौती दी जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है जो संविधान के Basic Structure का भाग है। यह भी ध्यान रहे कि अनुच्छेद 194 में विधायिका के विशेष अधिकार हैं और उन्हें अपने कार्यों में उन्मुक्ति प्राप्त है।

यहाँ यह लिखना समीचीन होगा कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि राज्य के तीनों अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका व विधायिका संविधान के अनुसार अपने अपने कार्यों में स्वतंत्रता दी गई है। यदि इनका संतुलन बिगड़ा तो संविधान की गरिमा पर विपरीत असर होगा। न्यायाधीशों का कार्य कठिन है।

में सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। यह युग न्याय की देवी की अग्नि परीक्षा का है। जज अग्नि परीक्षा से क्यों डरें, डर तो पथ भ्रष्ट व अन्यायी व्यक्ति के लिये है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक कुशल एडवोकेट व राजनीति के चतुर खिलाडी रहे हैं। राज्यसभा के प्रशिष्ठुओं के एक कार्यक्रम को कुछ दिनों पूर्व सम्बोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तामिलनाडु बनाम राज्यपाल के केस में राष्ट्रपति को निर्देश दिया है कि वे तीन माह की अवधि में जो विधायक उनके पास असेन्ट के हेतु लम्बित हैं, उन पर फैसला दें। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि इस बाबत संवेदनशील हैं, क्योंकि हमने इस दिन की कल्पना नहीं की थी कि राष्ट्रपति को तयशुदा समय में फैसला देने को कहा जावेगा। उनका कहना था कि संविधान का अनुच्छेद 142 लोकतंत्र के खिलाफ परमाणु मिसाल बन गया है। उनका मानना कि न्यायाधीश 'सुपर संसद' की तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम तो संविधान की व्याख्या का है। सुप्रीम कोर्ट भी व्याख्या उसकी समय करेगी जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ सुनवाई करे। ऐसा प्रतीत होता है, धनखड़ और भारतीय जनता पार्टी तामिलनाडु के राज्यपाल पर विधेयकों पर असेन्ट देने की अवधि निश्चित करने के कारण खिन्ना हैं। सम्भवतः वे इस घटना को न्यायपालिका का विधायिका पर आक्रमण मान रहे हैं। उनका मानना है कि न्यायपालिका विधायिका को निर्देशन नहीं दे सकती।

संविधान के अनुच्छेद 196 में विधायी प्रक्रिया क्या होगी, इसका उल्लेख है। बिल उसी समय अधिनियम होगा, जब उसे राज्यपाल की असेन्ट (अनुमति) मिलेगी जिसकी पूरी प्रक्रिया अनुच्छेद 200 में दी गई है। इसका अर्थ है असेन्ट के प्रभाव में वह अभी विधेयक नहीं बना है। असेन्ट के बाद उसका गजट में प्रकाशन होगा तब वह विधेयक लागू होगा। अनुच्छेद 212 में व्यवस्था है कि राज्य के विधान मण्डल की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जावेगा। अनुच्छेद 212(2) के तहत राज्यपाल के कार्य में किसी न्यायालय का दखल वर्जित है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का दखल, उपरोक्त परिस्थितियों में संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि 3 माह में राज्यपाल असेन्ट दें, संवैधानिक विधायी प्रक्रिया का भाग है, अतः अनुच्छेद 200 के अनुसार वह अवैध है। अभी तक बिल विधेयक नहीं बना है।

प्रत्येक अधिनियम में एक प्रावधान होता है कि वह कब से लागू होगा। साधारणतः विधेयक, अधिनियम गजट में प्रकाशित होने पर लागू होता है अथवा उस तारीख से लागू होता है जो विधेयक (बिल) में निर्धारित की गई है। कई केसज ऐसे हुये हैं जहाँ विधेयक को राज्य ने गजट में प्रकाशित कर अधिनियम नहीं बनाया। लोग कोर्ट में गये हैं, इस प्राथना के साथ की कोर्ट उसे लागू करने की आज्ञा दे और हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट के यह निर्णय है कि चूँकि यह विधायिका की प्रक्रिया है अतः कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

'हद में रहो' यह कहना स्वयं पर लागू होता है इसे चेतावनी के रूप में दूसरों को हद में रहने की नसीहत देना हद की सीमा का अतिरेक है। लेखक का प्रस्ताव है सब अपनी अपनी हद में रहें। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को Complete Justice करने को अधिकृत करता है, किन्तु यहाँ पर यह स्थिति नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या राज्य के गवर्नर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाध्यकारी है? ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार अनुच्छेद 142 के तहत Ordinance लाकर राज्यपाल का बचाव कर सकती है।

कौन बड़ा? संसद, सुप्रीम कोर्ट अथवा संविधान या स्वयं सांसद, ऐसा प्रश्न है जिसका एक उत्तर मिलना संभव नहीं है। इसका उत्तर राष्ट्रपति को देखकर किया जाना है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पुनः दिनांक 23.04.2025 को कहा कि संसद सर्वोच्च है और सांसद 'अल्टीमेट मास्टर्स'। दूसरी ओर कपिल सिब्बल ने कहा न संसद सर्वोच्च है और न कार्यपालिका। कोई सर्वोच्च है तो वह संविधान है। सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान की व्याख्या का है। सिब्बल ने कहा कि देश ने अब तक कानून के अर्थ को इसी प्रकार माना है। हमें उसी विचार धारा को मानना होगा जो संवैधानिक मूल्यों के अनुकूल हो व राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक एवम् निर्देशित हो। विषय को समझने के लिये जैन दर्शन 'अनेकान्त' का प्रयोग हितकारी है।

सबको सम्मति दे भगवान!

-अतिथि सम्पादक,

पानाचन्द जैन

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

# ब्यूरोक्रैसी के लिए श्रेयस्कर है पब्लिक एजेण्डा पर चलना



डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

21 अप्रैल को लोकसेवा दिवस पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में राजस्थान ब्यूरोक्रैसी के मुखिया सुधांशु पंत का संदेश इसलिए समसामयिक और अर्थपूर्ण हो जाता है कि उन्होंने पी-2 व जी-2 की चर्चा करने के साथ ही लोकसेवकों को महत्वपूर्ण संदेश दिया है वह पीए से पीए और रूपांतरण का संदेश है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकसेवक अपने आपको प्रीविलेज ग्रुप का मानता है और समाज में भी उसकी हैसियत प्रीविलेज में ही होती है ऐसे में लोकसेवक का जीवन स्तर और सामाजिक स्तर समाज के अन्य वर्ग के लोगों से अलग हो जाता है। ऐसे में लोकसेवक के प्रति आमजन और सरकार के संचालकों की अपेक्षा भी काफी बढ़ जाती है। पर महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि लोकसेवक के प्रति

समाज में जो अलग तरह का नजरिया बना हुआ है जिसमें काम को अनवश्यक रूप से डिले करने सहित अन्य नकारात्मक बिन्दु शामिल होते हैं। वह लोकसेवक को लेकर समाज में एक अलग ही तरह की धारणा बना देती है। ऐसे में राजस्थान ब्यूरोक्रैसी मुखिया मुख्यसचिव सुधांशु पंत ने लोकसेवकों को जो संदेश पीए के स्थान पर पीए यानी कि परसनल एजेंडा के स्थान पर पब्लिक एजेंडा पर काम करने का संदेश दिया है वह अपने आपमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में ब्यूरोक्रैसी को सही दिशा देने के साथ ही ब्यूरोक्रैसी की भूमिका को स्पष्ट करता है। हालांकि ब्यूरोक्रैसी के अधिकांश सदस्य अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति गंभीर होने के साथ ही अपने कार्य को प्रभावी तरीके से अंजाम देते हुए सरकार के जनहितकारी एजेंडा को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ब्यूरोक्रैसी की खास भूमिका होती है। सशक्त ब्यूरोक्रैटिक ढाँचे के बिना सरकारी, सार्वजनिक या निजी संस्था के सफलतापूर्वक संचालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सुधांशु पंत ने पी-2 यानी कि प्रो पिपुल-प्रो एक्टिव होने की आवश्यकता प्रतिपादित करने के साथ ही जी-2 यानी कि गुड गवर्नेंस का संदेश दिया और इसी को आगे बढ़ाते हुए ब्यूरोक्रैसी को पीए से पीए यानी कि

परसनल एजेंडा के स्थान पर पब्लिक एजेंडा को तरजीह देने पर जोर दिया। सही मायने में देखा जाए तो ब्यूरोक्रैसी में इसी सोच की आवश्यकता है जिसे सुधांशु पंत ने समझा है और समूची ब्यूरोक्रैसी तक इस संदेश का पहुंचाने का प्रयास किया है।

भारतीय चिंतकों से लेकर देश-दुनिया के जाने माने चिंतकों ने ब्यूरोक्रैसी के महत्व को स्वीकारने के साथ ही ब्यूरोक्रैसी की भूमिका भी अपने अपने तरीके से तय की है। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में ब्यूरोक्रैसी यानी कि नौकरशाही के बारे में विस्तार से बताया गया है, लेकिन आज हम जिस रूप में ब्यूरोक्रैसी को देखते हैं उसको किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। प्राचीन मिस्र और रोम में भी नौकरशाही की मौजूदगी के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन प्राचीन नौकरशाही प्रमुखतः राजशाही पर आधारित थी, शासक के निजी विचार व भावनाओं पर शासन चलता था। किंतु आज की नौकरशाही कानून कायदों से चलने वाली व्यवस्था है।

फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विस्से डी गोनी ने 1745 में ब्यूरोक्रैसी शब्द का प्रयोग किया। नौकरशाही या 'ब्यूरोक्रैसी' लैटिन भाषा के 'ब्यूरो' जिसका अर्थ है 'भेज' और ग्रीक भाषा के 'क्रैसी' जिसका अर्थ है 'शासन' से मिलकर बना है। इस प्रकार 'ब्यूरोक्रैसी' का तात्पर्य 'भेज का शासन' से है। ब्यूरोक्रैसी को कर्मचारी

तंत्र, अधिकारी तंत्र के साथ ही नकारात्मक अर्थों में लाल फीताशाही के रूप में भी जाना जाता रहा है। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार नौकरशाही का अर्थ समाज में सरकार के व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासकों से है।

हैरोल्ड जोसेफ लॉस्की ने बताया कि एक सरकारी व्यवस्था में अधिकारियों का शासन ही नौकरशाही है। हर्मन फाईनर ने बताया कि, प्रशासकों या अधिकारियों द्वारा किया गया शासन ही नौकरशाही है। वही मार्शल ई. डिर्माक का कहना है कि नौकरशाही एक वृहत रूप में केवल संस्थावाद का नाम है। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर पहले ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने नौकरशाही के नकारात्मक पहलुओं के बजाय सकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा बल दिया और नौकरशाही के आदर्श मॉडल का प्रतिपादन किया। वेबर ने नौकरशाही के बारे में बताया कि नियुक्त किये गए अधिकारियों का समूह नौकरशाही कहलाता है अर्थात् प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य जो नियुक्त है, नौकरशाह है। साल 1920 में वेबर की किताब 'विट्रिफिकेशन एंड गेसलशाफ्ट' प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने सत्ता के तीन रूप परंपरावादी सत्ता, चमत्कारिक सत्ता एवं कानूनी सत्ता बतायी।

शासन में ब्यूरोक्रैसी की भूमिका लगभग तय होती है, जहाँ चुनी हुई सरकार कानून कायदे, योजनाओं, कार्यक्रमों या यों कहें कि अपना एजेंडा

प्रस्तुत करते हैं वहाँ धरातल पर अमली जामा पहनने की जिम्मेदारी व अहम भूमिका ब्यूरोक्रैसी की होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार की इच्छा शक्ति और जीवन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है पर इसे भले ही अतिशयोक्तिपूर्ण माना जाए पर सचाई यही है कि आज विकास की जो तस्वीर देखने को मिल रही है इसे धरातल पर लाने में ब्यूरोक्रैसी की प्रमुख भूमिका रही है। ऐसे में सुधांशु पंत का पीए से पीए अर्थात् परसनल एजेंडा से पब्लिक एजेंडा को महत्व देने का संदेश लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।

ब्यूरोक्रैसी सरकार के एजेंडा को धरातल पर उतारकर आमजन तक उसका लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है। अब परसनल एजेंडा के चलते क्रियान्वयन स्तर पर कमी रह जाती है और इसी को भलीभांति समझते हुए राजस्थान में ब्यूरोक्रैसी के मुखिया सुधांशु पंत ने कार्यक्रम के माध्यम से समूची ब्यूरोक्रैसी को एक सकारात्मक संदेश देने का सफल प्रयास किया है। केवल एजेंडा की प्राथमिकता बदलने मात्र से काफी कुछ सुधार हो सकता है और इसका सीधा-सीधा लाभ आमजन को मिलने के साथ ही सरकार को भी मिलता है इसके साथ ही सरकार की सकारात्मक छवि बनती है।

-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, (वरिष्ठ लेखक)

## झुंझुनू के शिवपुरा गांव के लोग दशकों से बूंद-बूंद पानी के लिये तरस रहे हैं

खेती की तो ये लोग सोचते ही नहीं, पशुओं को भी रखना छोड़ दिया है, क्योंकि खुद के पीने के पानी लिए भी दूसरे राज्य की ओर देखने पड़ता है

बुहाना, (निसं) पानी बचाने के लिए हर कोई संदेश देता है, लेकिन झुंझुनू का हरियाणा बॉर्डर का शिवपुरा गांव, जिसके ग्राउंड में वॉटर, यानी पानी की बूंद तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह पानी आज ही खत्म हो गया है, बल्कि दशकों से यहाँ के लोग बूंद-बूंद के लिए भी दूसरे राज्य के मोहताज हैं। खेती की तो ये लोग सोचते ही नहीं, पशुओं को भी रखना छोड़ दिया है, क्योंकि खुद के पानी पीने के लिए भी दूसरे राज्य की ओर देखने पड़ता है। ऐसे में वे कहाँ से तो खेती करें और कहाँ से पशु पालें।

झुंझुनू जिले के शिवपुरा गांव में जहाँ दशकों से जमीन में पानी नहीं है। ग्रामीण बूंद-बूंद पानी को लेकर भी तरस रहे हैं। सरकारी सिस्टम भी यहाँ पानी पहुंचाने में बेबस है। शिवपुरा गांव के लोगों ने खेती की आस छोड़ दी है। पशु भी पाले, ऐसी हिम्मत अब इनमें बची नहीं है। कारण है पानी। ग्रामीणों की मानें तो शिवपुरा ही नहीं, बल्कि हरियाणा बॉर्डर के लगभग गांवों में जमीन का पानी खत्म हो चुका है। 1000 से लेकर 1200 फीट तक भी जमीन खोदने के बाद भी बूंद तक पानी की नहीं निकलती। सरकारी पानी व्यवस्था यहाँ आकर फेल हो जाती है। यही कारण है कि अब हरियाणा के लोग राजस्थान की इस लाचारी का जमकर फायदा उठा रहे हैं। पड़ोस के हरियाणा में पानी का स्तर काफी अच्छा है। नहरी पानी भी मिलता है। ऐसे में अब हरियाणा के लोगों ने अपनी परसल पाइप लाइन इन गांवों तक पहुंचा दी है। दो से 10 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन शिवपुरा जैसे गांवों में पहुंचाई गई है। घर-घर परसल लाइन से कनेक्शन दिए गए हैं। महीने के 300 से 400 रूपए वसूलने के बाद एक घंटे पानी देने का वादा किया जाता है, लेकिन असल में पानी आता



झुंझुनू जिले के शिवपुरा गांव में हरियाणा के लोग पाइप लाइन डालकर पानी की सप्लाई करते हैं।

है कि 15 से 20 मिनिट। कभी प्रेशर के कारण पानी नहीं आता तो कभी पाइप लाइन फट जाने के कारण पानी

लाइन से पीने के पानी का धंधा शुरू किया। हमें भी पानी लेने की जरूरत थी, लेकिन अब उनकी नजर हमारे

- ग्रामीणों की मानें तो शिवपुरा ही नहीं, बल्कि हरियाणा बॉर्डर के लगभग गांवों में जमीन का पानी खत्म हो चुका है
- हरियाणा के लोग राजस्थान की इस लाचारी का जमकर फायदा उठा रहे हैं और कई गांवों में परसल पाइप लाइन डाल दी है
- पानी की किल्लत से सबसे ज्यादा झुंझुनू जिले के बुहाना तहसील के पथाना, चूडीना, भालोट, काकड़ा, गूति, श्योपुरा गांवों में हैं

नहीं पहुंचता। उस समय पीने के लिए भी ग्रामीण पानी को तरस जाते हैं। गांव-गांव डाली हरियाणा से पाइप लाइन :-ग्रामीणों ने मानना कि जब तक नहर का पानी उनके गांव तक नहीं पहुंचेगा, तब तक जीवन जीना मुश्किल है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के लोगों ने पहले तो पाइप

खेतों पर भी पड़ गई है। कई लोगों ने अपने खेत हरियाणा के लोगों के लिए दिए। हरियाणा के लोग अपनी हरियाणा की जमीन में खुदे ट्यूबवैलें से उनके खेतों तक पानी लाकर फसल करते हैं। एक फिसस पैदावार खेत मालिक को देकर उनके खेतों तक को एक तरह से किराए पर ले लिया है। जिन



दशकों से झुंझुनू के शिवपुरा गांव में लोगों को पेयजल को लेकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

लोगों ने खेत किराए पर नहीं दिए हैं, वे बारिश के पानी पर निर्भर हैं। यदि बारिश अच्छी हो जाती तो खेतों में थोड़ी बहुत फसल हो जाती है। बारिश नहीं हुई तो खेत भी सूखे रह जाते हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि इस पानी की किल्लत से सबसे ज्यादा झुंझुनू जिले के बुहाना तहसील के गांव प्रभावित है। इनमें पथाना, चूडीना, भालोट, काकड़ा, गूति, श्योपुरा जैसे गांव हैं, जहाँ पर जमीन में बिल्कुल पानी नहीं है। ये सभी गांव हरियाणा बॉर्डर पर ही हैं। अब इन गांवों को पानी पिलाने के लिए हरियाणा के महरमपुर, चिंडालिया, खेडकी, दुलौत और गोदबलवाहा जैसे गांवों पर निर्भर होना पड़ता है। कुछ लोगों ने तो पानी की समस्या को बिजनेस बना लिया है। राजस्थान के भी कुछ लोगों ने हरियाणा में जमीन खरीदकर वहां पर ट्यूबवैल खोद लिए और पाइपलाइन से गांवों में पीने के पानी को सप्लाई कर रहे हैं। जो भी मनमर्जी के दामों पर और मनमर्जी जितना 1000 लोग पानी के लिए

हरियाणा के भरोसे :-एक अनुमान के मुताबिक शिवपुरा गांव में करीब 165 मकान हैं, जहाँ पर 1000 लोगों के करीब की आबादी है। यहाँ पर राजस्थान विभाग के पीएचडीई विभाग ने आठ टंकों को बना रखा है, लेकिन इनमें एक टंकी में ही पानी के लिए सरकारी ट्यूबवैल बना हुआ है। पर इस ट्यूबवैल की भी हालत यह है कि इससे एक टंकी को पानी आपूर्ति भी पूरी नहीं होती। इसलिए गांव के लोगों ने हरियाणा के खेडकी सहित अन्य पास लगते गांवों से पानी की सप्लाई लेते हैं, जिससे सिर्फ पानी पीने के लिए आपूर्ति हो पाता है। गांव में पशुओं के लिए खेडब बनी हुई है। वो भी सूखी है। घरों में भी पानी का उपयोग हिजाब लगाकर करना पड़ता है। इसी तरह चूडीना गांव के लोग भी हरियाणा से करीब 10 किमी पाइप लाइन बिछाकर हरियाणा के किसानों से पानी लाकर अपने गांव में बनाई डिपिंग में स्टोर कर उसका उपयोग करते हैं और खेती कर रहे हैं।

## राशिफल शुक्रवार 25 अप्रैल, 2025



पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2082, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रातः 8:54 तक, ऐंद्रयन योग दिन 12:31 तक, तैतिल करण दिन 11:45 तक, चन्द्रमा आज मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेघ, चन्द्रमा-मीन, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरु-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज राजयोग प्रातः 8:54 से दिन 11:45 तक है। आज प्रदोष व्रत, पंचक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:34 तक, लाभ अमृत 7:34 से 10:48 तक, शुभ 12:25 से 2:02 तक, चर 5:15 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:58, सूर्यास्त 6:52

**मेघ**  
घर-गृहस्था के खर्चों में अनवश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आपसी वाद-विवाद हो सकते हैं। समय अनर्गल कार्यों में खराब होगा।

**वृष**  
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। पारिवारिक कार्यों से संबंधित यराडा संभव है।

**मिथुन**  
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित अड़चनें दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शौच/सुगमता से बनने लगे।

**कर्क**  
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। पारिवारिक कार्यों से संबंधित यराडा संभव है।

**सिंह**  
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

**कन्या**  
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित विवादों का निपटारा हो सकता है। अटक हुए कार्य बनने लगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भानेदी से राहत मिलेगी।

**तुला**  
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित विवादों का निपटारा हो सकता है। अटक हुए कार्य बनने लगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भानेदी से राहत मिलेगी।

**वृश्चिक**  
परिवार में शुभ-मौंगलिक कार्यों सम्पन्न हो सकते हैं। अधिधियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

**धनु**  
घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। परिवार में आपसी मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

**मकर**  
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

**कुंभ**  
परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में धार्मिक-मौंगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**मीन**  
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेंगे। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होंगे।